



क्रमांक/परिषद्/दिशा निर्देश/2021/1502

रायपुर दिनांक 19.05.21

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा
गैर शासकीय संस्थाओं (NGO)
को प्राप्त प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के दिशा निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 23 – 03/2021/20-तीन रायपुर दिनांक 06.03.2021 के अनुसार राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ में अकादमिक कार्यों के लिए गैर शासकीय संस्थाओं के साथ निःशुल्क सेवायें/सहयोग प्राप्त किये जाने के शर्त पर अनुबंध करने के लिए संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ को अधिकृत किया गया है।

इस कार्य हेतु आपके प्रस्ताव परिषद् को प्राप्त हुये हैं। जिनका प्रस्तुतीकरण दिनांक 27.05.2021 गुरुवार से किया जाना है। प्रस्तुतीकरण संबंधी दिशा निर्देश इस प्रकार रहेंगे –

- प्रस्तुतीकरण के पूर्व दिनांक 21.05.2021 (शुक्रवार) को परिषद् द्वारा एक Webex Meeting रखी गयी है जिसमें दिशा निर्देश दिये जायेंगे की प्रस्तुतीकरण किस प्रकार से तथा कब-कब किया जाना होगा तथा किन नियम शर्तों के अधीन आपके प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
- प्रस्तुतीकरण हेतु सभी गैर शासकीय संस्थाएं (NGO) अपना P.P.T. (Power Point Presentation) की प्रति राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को दिनांक 26.05.2021 तक परिषद् के E-mail I.D. scertcg@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भेजे।
- प्रस्तुतीकरण में आपके द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जो कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग हेतु किया गया है उसका संक्षिप्त विवरण प्रदाय करेंगे।
- वर्ष 2021-22 में शिक्षा सत्र हेतु आपका प्रस्ताव क्या है? और इसका कार्य क्षेत्र (राज्य/जिला/ब्लॉक/संकुल) में किए प्रकार रहेगा इसका प्रस्तुतीकरण आपको करना होगा।
- प्राप्त प्रस्तावों में यह स्पष्ट होना चाहिए की कोविड-19 की महामारी के कारण आपका प्रस्ताव का क्रियान्वयन किस प्रकार होगा तथा इसकी कार्य योजना क्या रहेगी।
- प्रस्तुतीकरण में आपके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टॉस्क के संदर्भ में आपको प्रस्ताव किस प्रकार से संबद्ध है इस पर भी उल्लेखित होना आवश्यक है।
- प्रतिदिन 02 या 03 गैर शासकीय संस्थाओं (NGO) के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण Virtual/Online किया जायेगा। अतः आप अपने P.P.T. शीघ्र परिषद् को भेजें।
- प्रस्तुतीकरण संक्षिप्त, समय-सीमा (30 से 45 मिनट) तथा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए तथा कार्य क्षेत्र कहा रहेगा इस पर चर्चा की जायेगी

- संपूर्ण प्रक्रिया के लिए परिषद् का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त विषय के संबंध में परिषद् के प्रभारी श्री ए.के.सारस्वत, सहायक प्राध्यापक (9425515489) से संपर्क कर सहयोग ले सकते हैं।

उपरोक्त विषयों पर विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 21.05.2021 (शुक्रवार) समीक्षा में दिये जायेंगे। जिसकी Link आपको भेजी जायेगी अतः इस समय पर अनिवार्यतः NGO के अधिकृत अधिकारी उपस्थित रहें।


(डी. राहुल वेंकट)

IAS

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर